न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 15.03.2021

अपील संख्या 2021/40

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
.... अपीलांट

बनाम

ज्ञानकंवर पुत्री श्री अमर सिंह पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी आमली जागीर, तहसील अटरू हाल निवासी पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर (राज0)
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश मीना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओम प्रकाश मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 04.09.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 42/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल आमली जागीर, तहसील अटरू में वादिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पुराना खसरा नं. 130 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुआ के पास की, खसरा नं. 145 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा माता जी की माफी, खसरा नं. 151 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा बडा पाडल्या, खसरा नं. 155 रकबा 53 बीघा 7 बिस्वा साट्या, खसरा नं. 183 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा पीस्या, खसरा नं. 192 रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा सड़क के पास का तलाई वाला कुल किता 6 कुल रकबा 128 बीघा 3 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2018 से वादिया का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आमली जागीर, तहसील अटरू की आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 128 बीघा 3 बिस्वा स्थित है जिसके नये खसरा

4/9/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कुल किता 12 कुल रकबा 24.15 हेक्टर कायम किये गये हैं से संबंधित एक दावा रेस्पोडेंट/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए ग्राम आमली जागीर के खसरा नं. 165 रकबा 4.04 हेक्टर व खसरा नं. 165/339 रकबा 0.09 हेक्टर का रेस्पोडेंट/वादिया को खातेदार कृषक घोषित कर निर्णय व डिक्री पारित की है। निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून एवं न्याय के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय में दावा व जवाबदावा के आधार पर तनकी नं. 1 ता 4 कायम की गई जिसको वादिया/रेस्पोडेंट द्वारा केवल पी.डब्ल्यू. 1 व 2 के बयान लेखबद्ध करवाये जबकि वादिया/रेस्पोडेंट पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर की रहने वाली है। उक्त विवादित आराजियात पर कभी भी वादिया/रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त नहीं रहा है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 1 व 2 का निर्णय वादिया/रेस्पोडेंट के पक्ष में करने में कानूनी भूल की है। तनकी नं. 3 दायित्व अपीलांट/प्रतिवादी के ऊपर था जिसके पक्ष में अपीलांट/प्रतिवादी ने अपने में पी.डब्ल्यू. 1 व 2 के बयान लेखबद्ध करवाये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं करते हुए दावा निर्णय व डिक्री करने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2017 की आर्डरशीट में प्रतिवादी साक्ष्य बन्द कर दी गई थी, परन्तु दिनांक 27.07.2017 को बिना प्रार्थना पत्र ही आर्डरशीट में प्रतिवादी की साक्ष्य लेना आवश्यक दर्ज कर दिनांक 16.08.2017 को पेश करना बताकर पी.डब्ल्यू. 1 व 2 लेखबद्ध बिना प्रतिवादी की सहमति के दर्ज कर दावा निर्णीत करने में कानूनी भूल की है। आराजी खसरा नं. 192 रकबा 25 बीघा 9 बिस्व संवत 2023–2029 की जमाबंदी में बंजड़ दर्ज है व उसके बाद की जमाबंदी संवत 2031–2034 में भी खसरा नं. 192 रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा बंजड़ दर्ज है क्योंकि वादिया/रेस्पोडेंट ने कभी भी उक्त विवादित आराजियात खसरा नं. 192 रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा पर काश्त नहीं की। जो सैटलमेंट बन्दोबस्त से पूर्व से ही उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में बंजड़ दर्ज है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान आकर्षित किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित कर वादिया/रेस्पोडेंट को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किये जाने में भारी भूल की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2018 निरस्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.01.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

6-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया विवादित आराजी पर रेस्पोडेंट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी सैटलमेंट से पूर्व भी बंजड दर्ज थी। ज्ञानकंवर के 44 बीघा आराजी का आवंटन कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.02.2018 निरस्त कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2009 (2) आर.आर.टी. पेज 954, आर.बी.जे. 1996 (3) पेज 306, 2024 (1) सी.जे. (सिविल) राज0 पेज 373 की नजीरे उद्धरत की जो शामिल पत्रावली की गई।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

वादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भू प्रबन्ध विभाग की त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु वाद दायर किया। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि "यह कि पुराना खसरा नं. 192 का रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा वादिया के खाते की भूमि थी जो सैटलमेंट द्वारा सैटलमेंट करते समय नवीन खसरा नं. 165 रकबा 4.03 हेक्टर तथा खसरा नं. 166/340 रकबा 0.06 हेक्टर बनाकर सरकार के नाम दर्ज किया है, जिसकी वर्तमान किस्म बंजड़ है। उक्त नवीन खसरा नम्बर प्रतिवादी के खाते का है, लेकिन वर्तमान में अभी कब्जा वादिया का ही है। उक्त जवाब प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई तथा उभयपक्ष की साक्ष्य ली गयी। डी.डब्ल्यू. 1 तहसीलदार अटरू द्वारा दौराने जिरह कथन किया कि "यह बात सही है कि आराजी खसरा नं. 165 का रकबा 4.03 हेक्टर सरकारी खाते में दर्ज है, लेकिन वर्तमान में कब्जा काश्त वादिया का ही है, यह बात सही है कि पुराने खसरा नं. 192 का रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा से बनी है, यह बात भी सही है कि सैटलमेंट से पूर्व खसरा नं. 192 का रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा ज्ञानकंवर बाई के दर्ज था मेरे को ज्ञानकंवर के खाते की जमीन खसरा नं. 192 की 25 बीघा 9 बिस्वा सैटलमेंट द्वारा सरकार के नाम किस आदेश

4-9-2024

से दर्ज की जानकारी नहीं है, मुझे यह जानकारी नहीं है कि सैटलमेंट के बाद इस जमीन को हमने कब्जा काश्त किया है या नहीं यह बात सही है कि हमेशा से ही ज्ञानकंवर ही काश्त करती आ रही है।"

डी.डब्ल्यू. 2 पटवारी हल्का द्वारा जिरह के दौरान कथन किया कि "सैटलमेंट द्वारा यह आराजी कैसे दर्ज की मुझे जानकारी नहीं है तथा यह तहसील कार्यालय तथा हमारे पास ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि सैटलमेंट ने इस आदेश से हमारे नाम दर्ज की सैटलमेंट से पूर्व रिकार्ड अनुसार खातेदार मालिक कब्जेदार ज्ञानकंवर ही है। वर्तमान में भी इस जमीन को ज्ञान कंवर ही काश्त करती चली आ रही है। हमने इस जमीन को देखा तक नहीं।"

अपीलांट द्वारा अपील मीमों में मुख्यतः यह कथन किया कि उक्त विवादित आराजियात पर कभी भी वादिया/रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त नहीं रहा फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 1 व 2 का निर्णय वादिया/रेस्पोडेंट के पक्ष में करने में भारी कानूनी भूल की है।

प्रकरण में डी.डब्ल्यू. 1 एवं डी.डब्ल्यू. 2 द्वारा जिरह में एवं तहसीलदार द्वारा दिये गये जवाब में वादिनी का प्रारम्भ से आज तक कब्जा काश्त होना स्वीकार किया गया तथा सैटलमेंट से पूर्व उक्त भूमि वादिनी के नाम दर्ज होना भी स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्य व जवाब सरकार के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है।

अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा सशपथ दिये गये बयान के आधार पर निर्णय किया गया है, जो विधि सम्मत प्रकट होने से यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा दौराने अपील कोई नया तथ्य अपील के पक्ष में नहीं पेश किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 4-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
अपीलांट्स **बनाम**
ज्ञानकंवर पुत्री श्री अमर सिंह पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी आमली जागीर, तहसील अटरू हाल निवासी पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर (राज0)
रेस्पोडेंट्स

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **26.02.2018**

अपील नं **2021/40**
मु.द.नं0 **42/2015**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **07 माह 08** सन् **2024**

श्री **चन्द्र प्रकाश मीना** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **ओम प्रकाश मेहता** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2018 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **04 माह 09 सन् 2024** को जारी किया गया ।

4-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)

मोहर